International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 01-05-2023, Accepted: 31-05-2023, Published: 15-06-2023
Volume 5, Issue 1, 2023, Page No. 57-59

प्रशासन व्यवस्था पर आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण का प्रभाव

डॉ. पुष्पा देवांगन[1], डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन[2]
[1] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली सारंगढ़, छत्तीसगढ़, भारत
[2] प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
प्रशासन ऐसे व्यवस्था से संबंधित है जो संस्थाओं को सुरक्षित रखने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए आवश्यक धन के साधनों को उत्पन्न, नियंत्रित तथा वितरित करता है। प्रत्येक जीवित प्राणी अपने प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है। इसी प्रकार वित्तीय प्रशासन जो कि लोक प्रशासन की उस उप व्यवस्था है। राजनैतिक, सामाजिक अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि अर्थ व्यवस्था से बहुत प्रभावित होता है। तथा आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है जिस प्रकार आर्थिक व्यवस्था होगी उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था भी होगी। आधुनिक प्रजातंत्र ने आर्थिक प्रशासन व्यवस्था को जन कल्याण तथा रवीन्द्र नारायण के उद्धार के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है।

मुल शब्दः प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक संकट, विश्व व्यापार संगठन

आर्थिक जगत में उदार शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है, जब सरकार उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, आयात–निर्यात आदि क्षेत्रों में कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं लगाती है या नाममात्र के प्रतिबंध या नियंत्रण लगाती है, तब उसे उदारीकरण कहते हैं। इस आधार पर उदारीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, आयात–निर्यात आदि क्षेत्रों में पहले से लगे हुए प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों को शिथिल या कम किया जा सकता है। आर्थिक संकटों से उबरने, देश के उबरने, देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विख्यात पर बेहतर तालमेल करने एवं आर्थिक अंगो में गतिशीलता लाने हेतु भारतीय प्रशासन द्वारा उदारीकरण नीति को अपनाया गया एवं आवश्यकतानुसार उदारीकरण संबंधी भी किए गए। समय–समय पर वर्तमान में विश्व के लगभग प्रत्येक राष्ट्र में चाहे वह विकसित हो या विकासशील विश्व व्यापीकरण की नीति को अपनाया गया है। वैश्वीकरण को हस्तक्षेप नीति कहते हैं। जब देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। उसे वैश्वीकरण या विश्व व्यापीकरण कहते हैं। विश्व व्यापीकरण को विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों ने अपनाया है। विकसित राष्ट्रों ने अर्थव्यवस्था में ही से बाहर निकलने एवं विकासशील राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विकसित राष्ट्रों के कारण अपनाया करें।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य प्रशासन व्यवस्था पर आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभावों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हिन्दी में आधुनिकतम ज्ञान पर आधारित जानकारी उपलब्ध कराना है। इस विषय में हिन्दी में उपलब्ध जानकारी बहुत कम है। अतः जहां तक संभव हुआ है पुस्तकों, अभिलेखों, पुस्तिकाओं दैनिक पत्रों, पत्रिकाओं एवं सहभागियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर इस कमी को पूरा करने देने का प्रयास किया गया है। इस लेख का नाम प्रशासन व्यवस्था पर आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभाव रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह लेख प्रशासन की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में प्रमुख किया गया है। प्रस्तुत लेख में प्रमुख रूप से प्रशासन पर अर्थव्यवस्था के कारण पड़ने वाले प्रभाव एवं समय–समय पर राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई नीतियों के प्रशासकीय पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। अतः इसका शीर्षक ''प्रशासन व्यवस्था पर आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभाव'' ही दिया गया है। इसमें प्रशासन के सभी पहलुओं जैसे–प्रावधानों, नीतियों, लाभ–हानि एवं परिणाम इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

उदारीकरण संबंधी प्रावधान

भारत की नई उदारीकरण संबंधी नीति में निम्न प्रावधान किए गए हैं :

(अ) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित प्रावधानः 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों को छोड़कर शेष के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है। एकाधिकार और प्रतिबंध व्यापार की सम्पत्ति सीमा जो पहले 100 करोड़ थी को समाप्त कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 17 उद्योगों को घटाकर 6 कर दिया गया है। अब सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनी के शेयर निजी कम्पनी भी खरीद सकती है। पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। दस साल के कम आबादी वाले शहरों में औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना के लिए अब पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया जा रहा है।

(ब) आयात–निर्यात से संबंधित प्रावधानः 1993 में घोषित संशोधित आयात–निर्यात नीति में उदारीकरण से संबंधित अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है। निर्यात की निषेधात्मक सूची में कटौती की गई है। अब निषेधात्मक सूची 344 वस्तुओं में से 144 वस्तुओं के निर्यात करने के लिए अब लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी। उद्योगों के समान ही निर्यात होने वाली कृषि इकाईयों को भी निर्यात संसाधन योजना के अंतर्गत शुल्क रहित आयात की सुविधा होगी। ऐसी इकाईयां अपने शेष 50ः इन्जीनियर आदि 15ः के डिस्काउन्ट पर उपकरण खरीद सकेंग (माहेश्वरी, 1972, हान्डा, 1996)।

(स) विदेशी पूंजी निवेश से संबंधित प्रावधानः देश में अपनाये जा रहे नवीनतम आर्थिक सुधार तब तक अधूरे हैं जब तक कि उनमें विदेशी पूंजी–निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किये जाएं। उदारीकरण की नीति में विदेशी पूंजी को

आकर्षित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। अब देशी उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40: से बढ़ाकर 51: कर दी गई है। विदेशी पार्टियों से जो समझौते किए जाएंगे, उनमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। विदेशी तकनीक के समझौतो पर स्वतः स्वीकृति मिल जाएगी।

(द) शेयर निर्गमन करने संबंधी प्रावधानः देश में स्थापित होने वाली कम्पनी को अपने शेयर मार्केट में बेचने के लिए पूंजी निर्गमन अधिनियम अनुमति प्रदान करने में अनावश्यक विलंब करता था। परिणामस्वरूप कम्पनियों के संस्थापकों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत एक अध्यादेश जारी करके अनुमति प्राप्त करने की उपरोक्त अनिवार्यत को समाप्त कर दिया है। इसे निजी क्षेत्रों की कम्पनियों को साधन जुटाने में सुविधा होगी।

उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप भावत 1991 के भयंकर आर्थिक संकट से उबरने में काफी सीमा तक सफल हुआ। विदेशी निवेशों में वृद्धि हुई। देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व स्तर पर बेहतर तालमेल हुआ है तथा आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक गतिशीलता आई है। वैधानिक जटिलताओं तथा राजकीय नियमनों से क्रमशः मुक्ति के कारण उद्योग, कृषि, ऊर्जा परिवहन बिजली एवं वित के क्षेत्र में निजी क्षेत्र एवं विदेशी कम्पनियों की व्यापक सहभागिता निरंतर बढ़ती जा रही है। उदारीकरण के कारण देश में बैकिंग एवं वित के क्षेत्र में नवीन क्रांति का संचार हुआ है। इन सबके फलस्वरू विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी के रूप में उभरी है।

उदारीकरण की नीति के अच्छे प्रभावों के बावजूद भी यह कहा जाता है कि उदारीकरण के बाद देश की गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, विदेशी ऋण, राजकोषीय घाटे तथा कृषि की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उदारीकरण को लेकर असमंजस्य का वातावरण बना हुआ है। (चौपड़ा, 1987, अवस्थी, 1976, लाल, 1969)

वैश्वीकरण

वैश्वीकरण को अहस्तक्षेप नीति कहते हैं। जब देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण कहते हैं।

1. **विश्वव्यापीकरण को अपनाने का कारण :** आज विश्व के लगभग प्रत्येक राष्ट्र में चाहे वह विकसित हो या विकासशील विश्वव्यापीकरण की नीति को क्यों अपनाया है ? इसका सीधा एवं सरल उत्तर है विकसित राष्ट्रों में अतिपूंजीकरण के कारण औद्योगिक वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन होने लगा। उत्पादन की तुलना में इन वस्तुओं की मांग कम होने लगी इस कारण इन राष्ट्रों में अतिउत्पादन में बेरोजगारी दर में वृद्धि होने लगी आर्थिक मंदी के दौर में विकसित राष्ट्रों की विकास दर में वृद्धि नहीं हुई और वह लगभग स्थिर अवस्था में पहुंच गयी। अपनी आर्थिक मंदी की समस्या के समाधान विकसित राष्ट्रों को अर्धविकसित राष्ट्रों की मंडियों में दिखाई देने लगा। विकसित राष्ट्रों में महसूस किया कि विशाल जनसंख्या वाले इन अल्पविकसित राष्ट्रों में आधुनिक उपभोग वस्तुओं की अपार संभावनाएं हैं। अतः उन्होंने विश्व बैंक एवं मुद्राकोष तथा विश्वव्यापार संगठन (गेट) समझौता आदि के माध्यम से विकासशील देशों पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वे अपने बाजार विकसित राष्ट्रों के उत्पादन के लिए खोल दे। कुछ वर्षों तक विकासशील राष्ट्र इन दबावों का प्रतिकार करते रहे परंतु सीमित एवं असंगठित शक्ति के कारण उन्हें विकसित राष्ट्रों के समक्ष समर्पण करना ही पड़ा इसके पश्चात् विश्व के विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यापार में वृद्धि का समझौता हुआ, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे हुए अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार व्यापार का विश्वव्यापीकरण हो गया। विश्वव्यापीकरण को विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों ने अपनाया है। परंतु इसको अपनाने के दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में अलग–अलग कारण थे। विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने तथा अति उत्पादन को विकासशील राष्ट्रों के बाजारों में बेचने के उद्देश्य से इसे अपनाया था, जबकि विकासशील राष्ट्रों ने इसे अंतराष्ट्रीय संस्थाओं एवं विकसित राष्ट्रों के दबाव के कारण अपनाया था।

2. **वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :** आज विश्व व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर सम्पूर्ण विश्व की अनिवार्यता तक विस्तृत रूप धारण कर रहा है, ऐसी दशा में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण करना एक अनिवार्यता बन गई है। यह अनुभव किया गया है कि विश्व व्यापार में अपना स्थान बनाए रखने के लिए भारतीय व्यापार का अन्तराष्ट्रीय मापदण्डों के आधार पर विश्वव्यापीकरण कर दिया जाए। भारतीय पूंजी व्यापार का विश्वव्यापीकरण करने के उद्देश्य से 1992–93, 93–94 में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए। इनके अनुसार भारतीय कम्पनियों को यूरो इक्वीटी शेयरों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति देने के मानदण्डों को उदार बनाया गया (शर्मा, 2004, गौतम, 2001)।

विश्वव्यापार संगठन की सदस्यता हेतु पात्रता पूर्ण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 1994 की रात्रि को दो अध्यादेश जारी किए। प्रथम अध्यादेश द्वारा पेटेण्ट अधिनियम 1970 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार कृषि, रसायन व औषधियों के क्षेत्र में उतपाद–पेटेण्ट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारत में अब तक ''प्रक्रिया पेटेण्ट'' प्रणाली ही लागू थी। दूसरे अध्यादेश द्वारा 1975 के सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया। (सोनी, 2003, फाड़िया, 2002, शर्मा, 2004)

विश्व व्यापीकरण के अन्तर्गत जब बहुराष्ट्रीय निगम अपनी विशाल पूंजी एवं उन्नत तकनीक के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे तब देश के निवेश एवं तकनीकी ज्ञान के स्तर में वृद्धि होगी। परंतु इसका दूसरा पहलू यह है कि इन विदेशी निगमों द्वारा स्थापित उद्योगों या उत्पादनों के समक्ष भारतीय उद्योग–धंधे प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पायेंगे और वे धीरे–धीरे समाप्त होने लगेंगे, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में लाभ का स्तर ऊंचा होने के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की रूचि इन्हीं उद्योगों में रहेगी अर्थात देश में पूंजीगत उद्योगों की स्थापना में इनसे कोई विशेष योगदान प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अर्थव्यवस्था को इनके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सतकर्ता बरतने की आवश्यकता होगी।

भारत (गैट) विश्वव्यापार संगठन का सदस्य है। वैश्वीकरण में इस संस्था की प्रमुख भूमिका है। इसका सदस्य होने के नाते भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसमें क्रियाकलापों का अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। सामान्य रूप से यह प्रचारित किया जा रहा है कि भारत को इस संगठन की सदस्यता से लाभ ही होगा। भारत को कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी घटाना होगी। इससे भारतीय कृषि उत्पादों में प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ाने से उनका व्यापार विस्तृत हो जायेगा। कपड़ा बाजार के विभिन्न चरणों में ''विश्वव्यापार संगठन'' के अन्तर्गत आ जाने से हमारे वस्त्र उद्योग का विस्तार

होगा जिसका लाभ भारतीय वस्त्र उद्योग को प्राप्त होगा । (तिलारा, 05)।

विश्व व्यापार संगठन के पेटेण्ट संबंधी प्रावधानों का भारतीय कृषि एवं औषधि उद्योग पर विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे बीज, खाद, कीटनाशक औषधियों तथा दवाईयों महंगी होने की सम्भावना है। विश्वव्यापीकरण स्वतंत्र व्यापार की नीति की ओर अग्रसर होने का संकेत है। इसके अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रों के उत्पादों के बीच बाजार पर कब्जा करने के लिए घोर प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। इस स्पर्धा में केवल उसी का अस्तित्व बचेगा जो योग्यतम एवं कुशल होगा यदि हम विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं तो हमें भी तकनीकी स्तर में सुधार करके प्रबंधकीय एवं विपणन संबंधी योग्यता एवं कुशलता में वृद्धि करना होगी। यदि हम ऐसा नहीं कर पाये तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। हम फिर से किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के गुलाम बन जाएंगे।

निष्कर्ष

प्रशासन ऐसे व्यवस्था से संबंधित है जो संस्थाओं को सुरक्षित रखने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए आवश्यक धन के साधनों को उत्पन्न, नियंत्रित तथा वितरित करता है। प्रत्येक जीवित प्राणी अपने प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है। इसी प्रकार वित्तीय प्रशासन जो कि लोक प्रशासन की उस उप व्यवस्था है। राजनैतिक, सामाजिक अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि अर्थ व्यवस्था से बहुत प्रभावित होता है। तथा आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है जिस प्रकार आर्थिक व्यवस्था होगी उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था भी होगी। आधुनिक प्रजातंत्र ने आर्थिक प्रशासन व्यवस्था को जन कल्याण तथा रवीन्द्र नारायण के उद्धार के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है।

संदर्भ सूची

1. ए.के.सोनी, 2003 – आर्थिक विकास एवं भारत में नियोजन विद्या भवन 620 खजूरी बाजार इन्दौर – 452002. पेज 121 से 125
2. डॉ. बी.एल.फडिया, 2002 – भारत में लोक प्रशासन साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा – 282003 पेज 346–350
3. प्रो. रमेश चंद्र शर्मा, 2004 – लोक उद्योग राजीव प्रकाशन, मेरठ कैन्ट – 250001, पेज 249 से 252
4. कुंवर सिंह तिलारा, 2005 – सामाजिक नियोजन एवं प्रशासन प्रकाशन केन्द्र डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, सीतापुर रोड लखनऊ – 226020. पृ.क्र. 237–242
5. डॉ.आर.एन. त्रिवेदी एवं डॉ.एम.पी. राय, 2003 – भारतीय सरकार एवं राजनीति कॉलेज बुक डिपो 83, त्रिपाली बाजार, जयपुर–2 पृ.क्र. 546–556
6. शर्मा रमेशचन्द्र (2004), लोक उद्योग, राजीव प्रकाशन, मेरठ कैन्ट–250001, पृ.क्र. 249 से 252
7. गौतम पी.एन. (2001) वित प्रशासन हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला पृ.क्र. 1 से 16
8. अवस्थी, अमरेश्वर एवं माहेश्वरी, श्री राम, लोक प्रशासन आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पांचवा संस्करण, पृ.क्र. 517
9. Lall, G.S. 1969 – Financial Administration in India, H.P.S. Kapoor, Delhi, P.78.
10. चोपड़ा, सरोज, 1987 – भारत के लोक प्रशासन, जयपुर, आर.बी. एस.ए. पब्लिशर्स पृ. 231
11. Maheshwari, S.R. 1972 – The Administrative Reforms Commission, Agra, Laxshmi Narein Agrawal. P.No. 120-125
12. Handa K.L. (Ed.) Financial Administration, India Institute of Public Administration New Delhi, 1986 P.P. 251.